न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, इलाहाबाद
प्रकीर्ण प्रार्थनापत्र संख्याः 4006/2022
आशमा बानो **बनाम** महमूद शफी एवं अन्य

दिनॉकः 14.11.2022

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दण्ड प्रकिया संहिता का निस्तारण

आवेदिका आशमा बानो द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 156(3)दण्ड प्रकिया संहिता प्रस्तुत करते हुए संक्षेप में कथन किया गया है कि आवेदिका के मायके के घर के सामने इमामबाड़ा बना हुआ है। दिनॉक 6.7.2022 को रात्रि विपक्षीगण इमामबाड़ा को तुडवा डाला और सुबह आवेदिका पर आरोप लगाने लगे कि आप लोगो ने तोड़ा है। आवेदिका ने मना किया तो महमूद शफी ने पुलिस को फोन कर बुलाया और थाना प्रभारी मउआइमा आवेदिका के घर में जब आवेदिका के पति घर पर नही थे, घुस गये और आवेदिका से बोले कि तुमने इमामबाड़ा तोड़ा है जिसपर आवेदिका ने कहा कि उसने इमामबाड़ा नही तोड़ा है जॉच करवा लीजिए जो दोषी हो उसे सजा दीजिए। इसपर थानाध्यक्ष मुझे भद्दी भद्दी गालियॉ देते हुए बोले तुम महमूद शफी के खिलाफ बहुत प्रार्थनापत्र देती हो। इस पर आवेदिका ने कहा कि वह पत्रकार है झूठी प्रार्थनापत्र नही देती हूॅ। इसपर थानाध्यक्ष सुरेश कुमार मौर्या आवेदिका का बाल पकड़कर उठाकर पटक दिया और पेट पर पैर से मारा इतने में विपक्षीगण मिलकर उसे बेरहमी से मारापीटा व गाली गुप्ता दिया जान से मारने की धमकी दिया कि तुम्हारे पति की हत्या करवा देगे। महबूब शफी आवेदिका का बाल पकड़कर घसीटते हुए बाहर ले आया पैर से आवेदिका के पेट पर मारा और कपड़े फाड़ दिये। आवेदिका की एक बात नही सुनी। इतने में आवेदिका की हालत गंभीर हो गयी पेट में अत्यन्त दर्द होने लगा एस.ओ. महोदय ने गाड़ी में बैठाकर थाने ले जाने लगे और रास्ते में एक टेबलेट खाने को दिया जिससे आवेदिका को ब्लीड़िग होने लगी और दिनॉक 7.7.2022 को आवेदिका को जेल भेज दिया जहॉ उसकी ज्यादा तबियत खराब होने पर उसे बेहोशी की हालत में जिला महिला चिकित्सालय भेजा गया जहॉ पर डाक्टर ने बोला इसके पेट का बच्चा मर चुका है। उसके बाद आवेदिका का गर्भपात हो गया तब आवेदिका की जान बची। थाने पर घटना की रिपोर्ट दर्ज न होने पर आवेदिका द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज को प्रार्थनापत्र दिया गया किन्तु कोई कार्यवाही नही हुई। उक्त आधार पर विपक्षीगण के विरूद्ध अभियोग दर्ज कर विवेचना कराए जाने की याचना की गयी है।

सुना एंव पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में जॉच कराया जाना आवश्यक है। **माननीय उच्चतम् न्यायालय की अद्यतन विधि व्यवस्था प्रियंका श्रीवास्तव एंव अन्य बनाम स्टेट आफ यू0पी0,(2015) 6, एस.सी.सी. पेज 287, क्रिमि0 अपील संख्या 781/2012 सुप्रीम कोर्ट** के अनुसार प्रार्थनापत्र धारा 156(3) दं0प्र0सं0 पर विचार करते हुए न्यायालय रूटीन प्रकिया के तहत आदेश पारित करने के लिए बाध्य नही है तथा मजिस्ट्रेट आदेश पारित करने के पूर्व तथ्यों के सत्यापन करवाने के लिए आवश्यक कार्यवाही कर सकता है। अतः पुलिस अधीक्षक गंगापार प्रयागराज से प्रकरण के सम्बन्ध में जॉच

कराया जाना विधिसम्मत है तदुपरान्त आवेदक के प्रार्थनापत्र पर आदेश पारित किया जाना न्यायोचित होगा।

आदेश

पुलिस अधीक्षक गंगापार प्रयागराज को निर्देशित किया जाता है कि वह आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के प्रकाश में प्रकरण की जॉच करके अपनी आख्या दिनॉक 09.12.2022 तक न्यायालय में प्रस्तुत कराना सुनिश्चित करें।

आवेदक को निर्देशित किया जाता है कि वह आवेदनपत्र एंव अन्य प्रपत्रों की एक छायाप्रति न्यायालय में प्रस्तुत करें।

सी0जे0एम0
इलाहाबाद।